ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड़ घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174026 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहेः–

प्रधान :–

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री अमर सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव :–

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र॰ सं॰	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में (₹)
1	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	12.97
2	7.1	पंचायत गृहकर वसूली हेतु शेष	0.87
3	8.1	निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान	6.47

4	8.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.13
5	9.1	निर्माण कार्यों के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	13.77
6	9.2	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.33
7	9.3	बिना उचित बिलों के भुगतान करना	1.15

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2020 तक संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई अनुपालना उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	पैरा क्रमांक	स्थिति
1	पैरा 5.1	अनिर्णीत
2	पैरा 5.2	अनिर्णीत
3	पैरा 11.1	अनिर्णीत
4	पैरा 11.2	अनिर्णीत
5	पैरा 11.3	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 18	अनिर्णीत
11	पैरा 24	अनिर्णीत
12	पैरा 25.1	अनिर्णीत
13	पैरा 25.2	अनिर्णीत
14	पैरा 25.3	अनिर्णीत
15	पैरा 25.4	अनिर्णीत
16	पैरा 25.5	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2020

क्रम	पैरा क्रमांक	स्थिति	
1	पैरा 1 व 2	निर्णीत	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
2	पैरा 3	निर्णीत	स्वतः निर्णीत।
3	पैरा 4(क)	निर्णीत	स्वतः निर्णीत।

4	पैरा 4(ख)	निर्णीत	अभिलेख की जाँच व अनुपालना का सत्यापन की पुष्टि उपरान्त
5	पैरा 5	निर्णीत	स्वतः निर्णीत।
6	पैरा 6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित
7	पैरा 7(क,ख,ग)	निर्णीत	निदेशक,हि.प्र.राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः फिन (एल.ए.)(एच)2(सी)(15)(14)324/2022 खण्ड–01 –2121 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्णीत किया गया।
8	पैरा 8(1,2)	निर्णीत	निदेशक, हि.प्र.राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः फिन (एल.ए.)(एच)2(सी)(15)(14)324/2022 खण्ड–01 –2121 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्णीत किया गया।
9	पैरा 9	अनिर्णीत	
10	पैरा 10(1,2,3)	निर्णीत	निदेशक,हि.प्र.राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः फिन (एल.ए.)(एच)2(सी)(15)(14)324/2022 खण्ड–01 –2121 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्णीत किया गया।
11	पैरा 11(1,2,3,4)	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	निर्णीत	निदेशक,हि.प्र.राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः फिन (एल.ए.)(एच)2(सी)(15)(14)324/2022 खण्ड–01 –2121 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्णीत किया गया।
13	पैरा 13	निर्णीत	निदेशक,हि.प्र.राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः फिन (एल.ए.)(एच)2(सी)(15)(14)324/2022 खण्ड–01 –2121 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्णीत किया गया।
11	पैरा 14 व 15	निर्णीत	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री महाराज सिंह, अनुभाग अधिकारी (ले•प•) व श्री पुनीत कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 06.08.2025 से 08.08.2025 तक ग्राम पंचायत मोरसिंघी के कार्यालय में किया गया। आय—व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2024—25	11/2024	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer):-इस ***अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5,400(15 वाँ वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सँख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025—103 दिनांक 08.08.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय पत्र संख्या GP/MOR/2025-126 दिनांक 21.08.2025 द्वारा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित घुमारवीं, जिला बिलासपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या ए जैड 389734 दिनांक 21.08.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थितिः—

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या सँख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025—59 दिनांक 16.07.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** पर भी दिया गया है । ग्राम पंचायत द्वारा

अंकेक्षण अवधि के दौरान (4) रोकड़ बहियों सभी(online),अर्थात स्वय स्त्रोत,अनुदान(प्लानिंग),15 वाँ वित्तायोग व मनरेगा का रख–रखाव किया गया था :–

(1)(क) संकलित वित्तीय स्थितिः– ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) स्वः स्त्रोत एवं अनुदानों की वित्तीय स्थिति						
क्र0सं0	शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	85018.00	114561.00	199579.00	123298.00	76281.00
2	अन्य अनुदान	1132142.12	4447682.00	5579824.12	4282548.00	1297276.12
	योग (i)	**1217160.12**	**4562243.00**	**5779403.12**	**4405846.00**	**1373557.12**
(ii) 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति						
क्र0सं0	शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
1	15 वाँ वित्तायोग	3343307.00	1445208.00	4788515.00	1252893.00	3535622.00
योग (ii)		**3343307.00**	**1445208.00**	**4788515.00**	**1252893.00**	**3535622.00**
कुल योग (i) + (ii)		**4560467.12**	**6007451.00**	**10567918.12**	**5658739.00**	**4909179.12**

नोटः– 15 वें वित्तायोग के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक का अंकेक्षण ऑडिट ऑनलाईन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियाँ भी ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत मोरसिंघी के अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 तक की बैंक समाधान विवरणी (15वें वित्तायोग को छोड़कर) निम्नलिखित है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1 (ख)** में भी दिया गया है

1	दिनांक 31.03.2025 को संकलित वित्तीय स्थिति का अन्तशेष	₹ 1373557.12
2	दिनांक 31.03.2025 को विभिन्न बैंक बचत खातों का अन्तशेष **परिशिष्ट–1 (क)**	₹ 1373461.12
3	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (स्वंय स्त्रोत)	₹ 96.00
4	दिनांक 31.03.2025 को बैंक बचत खातों व हस्तगत राशि का कुल योग (2+3)	₹ 1373557.12

5	दिनांक 31.03.2025 को संकलित वित्तीय स्थिति तथा बैंक बचत खातों व हस्तगत राशि में कुल अन्तर (4-1)	₹ 0.00

5. सावधिक निवेशः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–96 दिनांक 06.08.2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Mor/2025-114 दिनांक 08.08.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वंय स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों को अलग–अलग रख–रखाव करके, स्वंय स्त्रोत मे आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया सुनिश्चित जाए।

6. अनुदानः–

6.1 अनुदान राशि ₹12.97 लाख उपयोग हेतु शेषः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी के दिशा–निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–96 दिनांक 06.08.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट–1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹12,97,276.12** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशियों को विहित समय अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायतों को प्राप्त अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए गए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–96 दिनांक 06.08.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या GP/Mor/2025-114 दिनांक 08.08.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध

में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगें। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–96 दिनांक 06.08.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/Mor/2025-114 दिनांक 08.08.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए है तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रकिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश/स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 स्वः स्त्रोत :–

7.1 पंचायत गृहकर/राजस्व ₹0.87 लाख वसूली हेतु शेषः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–96 दिनांक 06.08.2025 के क्रम संख्या 6 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या GP/Mor/2025-114 दिनांक 08.08.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹86,800** की वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर(₹)	मॉंग (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024–25	**42250**	**900**	**50**	**45000**	**87250**	**450**	**86800**

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवानाः—

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुना दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय– समय पर वसूल करने के उपरान्त हि॰ प्र॰ विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित नवीनतम लेखा शीर्ष 0070—60—108—01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय 2024—25 के दौरान निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि **₹3600** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट—3** में दिया गया हैः—

क्र॰ संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024—2025	3600

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु॰अधि॰ / रा॰ले॰प॰शिमला / 2025—104 दिनांक 08.08.2025 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या GP/Mor/2025-115 दिनांक 08.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि **₹3600** को राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्ययः—

8.1 सामग्री की आपूर्ति पर ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹6.47 लाख का अनियमित भुगतानः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर को माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फॉर्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फॉर्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम के द्वितीय अनुसूची के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान 25% दण्ड़ शुल्क के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिमला के पत्र संख्या एक्स. ई एन.-(आर.डी.एवं पी.आर.)-डी.बी.-सामान्य/2023-1/204192/2023-34307-30दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि. प्र. के आदेशों की अनुपालना में अब संविदाकारों / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फॉर्म "एक्स" या डब्ल्यू" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट–4 के** अनुसार **₹6,46,682.25** का अनियमित भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–104 दिनांक 08.08.2025 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या GP/Mor/2025-115 दिनांक 08.08.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट "फॉर्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फॉर्म एक्स" सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार प्राप्त करके ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट फॉर्म की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ताओं को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एंव अनियमित प्रतीत होता है। अतः **₹6,46,682.25** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 स्त्रोत पर ₹0.13 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना:–

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 51 तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या12-4/78EXN-Tax-Part(278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt.Deductor) द्वारा संविदाकार, व्यक्ति, फर्म को सेवायें तथा वस्तुऐं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध में ₹2,50,000 से अधिक राशि का भुगतान करने पर 2%(1% सी.जी.एस.टी. तथा 1% एस.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति एवं 2% आई.जी.एस.टी. अन्तरराज्जीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकारों को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह की 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹6,60,866** (जी.एस.टी.के अलावा) राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार स्त्रोत पर राशि **₹13,217.32** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है :–

क्र• संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	जी.एस.टी.टी.ड़ी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2024–25	Garg Traders VPO Morsinghi,Tehsil Ghumarwin,Distt.Bilaspur	Sand, Aggregate, Stone,Stringing Carriage	660866	13217.32

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि• / रा•ले•प•शिमला / 2025–104 दिनांक 08.08.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या GP/Mor/2025-115 दिनांक 08.08.2025 दिनांक द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं **₹6,60,866** की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार **₹13,217.32** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अतः जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

9. निर्माण कार्यों पर व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ:–

9.1 ग्राम पंचायत द्वारा ₹13.77 लाख के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है । अंकेक्षण में **परिशिष्ट–6** में दिये गये विवरणानुसार **₹13,76,654** राशि के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि• / रा•ले•प•शिमला / 2025–104 दिनांक 08.08.2025 द्वारा सचिव से कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/Mor/2025-115 दिनांक 08.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।" वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना स्वतः आपत्तिजनक है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अति शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

9.2 ₹0.33 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable

or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान विभिन्न कार्यों हेतु क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–7** में दिये गये विवरणानुसार **₹33,105** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टारों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–104 दिनांक 08.08.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या GP/Mor/2025-115 दिनांक 08.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में **₹33,105** के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया दिया जाएगा।" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाये।

9.3 उचित बिलों के बिना ₹1.15 लाख का भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 47(2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–8** में दिये गये विवरणानुसार **₹1,14,996** का व्यय आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–104 दिनांक 08.08.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या GP/Mor/2025-115 दिनांक 08.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पशट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। अतः उक्त आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व हि• प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियमावली 1997 में प्रावधित महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण

किया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:-

क्र॰ सं॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, संपरीक्षा,लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12 (1) व 27 (1)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	माँग और प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 74 (4)
4	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11	37
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a) व 72(1) (b)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अभिलेख रजिस्टर	30	89
8	निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	निर्माण कार्यो के लेखों का अनुरक्षण	--	103
10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण	--	101(2)
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
2	अनुदान रजिस्टर	8	34
3	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु॰अधि॰/रा॰ले॰प॰शिमला/2025-96 दिनांक 06.08.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या GP/Mor/2025-114 दिनांक 08.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार कर लिया जाएगा और अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक भी बार नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगया जा सका। अंकेक्षण अधियाचना संख्या

अनु•अधि• / रा•ले•प•शिमला / 2025–96 दिनांक 08.08.2025 के क्रम संख्या 9 की अनुपालना में पत्र संख्या GP/Mor/2025-114 दिनांक 08.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04 / 2024 से 03 / 2025 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गये स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल मे लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिकाः**—लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13. **निष्कर्षः**—लेखों में पर्याप्त सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/प्रति

27 NOV 2025

-1257-1261

दूरभाष 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (XV)(xii) 15 / 2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/प्रति

(पैरा संख्या 4(1)क व 6.1 में वर्णित)

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

स्व: स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	85018.00	114561.00	199579.00	123298.00	76281.00

15 वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	3343307.00	1445208.00	4788515.00	1252893.00	3535622.00

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1132142.12	4447682.00	5579824.12	4282548.00	1297276.12

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	4560467.12	6007451.00	10567918.12	5658739.00	4909179.12

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरसिंघी
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4(1)क्र6.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खंड घुमारवीं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

SR.NO	PARTICULARS	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	Own Source	85018.00	114561.00	199579.00	123298.00	76281.00
2	5thSFC A/c B	937175.12	605533.00	1542708.12	827292.00	715416.12
3	VKVNY	126158.00	250952.00	377110.00	355011.00	22099.00
4	SDP	0.00	307068.00	307068.00	85737.00	221331.00
5	MPLAD	45551.00	211362.00	256913.00	23446.00	233467.00
6	MPLAD Rajya Sabha	362.00	12.00	374.00	0.00	374.00
7	Indra Aawas Yojna	18406.00	522.00	18928.00	0.00	18928.00
8	Zila Parisad	4490.00	127.00	4617.00	0.00	4617.00
9	MMGPY	0.00	123456.00	123456.00	42412.00	81044.00
11	15TH FC	3343307.00	1445208.00	4788515.00	1252893.00	3535622.00
12	MNREGA	0.00	2948650.00	2948650.00	2948650.00	0.00
Total		**4560467.12**	**6007451.00**	**10567918.12**	**5658739.00**	**4909179.12**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट – 1(क)

C पैरा संख्या 4 (1) (ख) में वर्णित

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश				
दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-				
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	OWN SOURCE	HPSCB GHUMARWIN	11010124510	76185.00
2	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010116099	696974.12
3	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010126632	18442.00
4	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010124508	22099.00
5	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010125426	221331.00
6	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010130020	233467.00
7	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010124509	374.00
8	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010124557	18928.00
9	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010125065	4617.00
11	5th SFC A/C(B) ,	HPSCB GHUMARWIN	11010125104	81044.00
12	15TH FC	HPSCB GHUMARWIN	11010128613	3535622.00
			Total	**4909083.12**
			हस्तगत राशि OWN SOURCE	**96.00**
G.Total				**4909179.12**

A/C B

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरसिंघी
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला: बिलासपुर (हि०प्र०)

16

(पैरा संख्या 4(1)(ख) में वर्णित) परिशिष्ट – "1(ख)"

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.25 को बैंकों,हस्तगत राशि व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	हस्तगत राशि (₹)	31.03.2025 को कुल शेष राशि (₹)	वित्तीय स्थिति के अनुसार अंत शेष (₹)	अंतर (₹) (8-7)
1	OWN SOURCE A/C(A)	HPSCB Ghumarwin	11010124510	76185.00	96.00	76281.00	76281.00	0.00
2	5th SFC A/C(B)	HPSCB Ghumarwin	11010116099 & 11010126632	715416.12	0.00	715416.12	715416.12	0.00
3	5th SFC A/C(B)	HPSCB Ghumarwin	11010124508	22099.00	0.00	22099.00	22099.00	0.00
4	5th SFC A/C(B)	HPSCB Ghumarwin	11010125426	221331.00	0.00	221331.00	221331.00	0.00
5	5th SFC A/C(B)	HPSCB Ghumarwin	11010130020	233467.00	0.00	233467.00	233467.00	0.00
6	5th SFC A/C(B)	HPSCB Ghumarwin	11010124509	374.00	0.00	374.00	374.00	0.00
7	5th SFC A/C(B)	HPSCB Ghumarwin	11010124557	18928.00	0.00	18928.00	18928.00	0.00
8	5th SFC A/C(B)	HPSCB Ghumarwin	11010125065	4617.00	0.00	4617.00	4617.00	0.00
9	5th SFC A/C(B)	HPSCB Ghumarwin	11010125104	81044.00	0.00	81044.00	81044.00	0.00
10	15TH FC	HPSCB Ghumarwin	11010128613	3535622.00	0.00	3535622.00	3535622.00	0.00
कुल योग				**4909083.12**	**96.00**	**4909179.12**	**4909179.12**	**0.00**

A/C B

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरसिंघी
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

17

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	4909179.12
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	4909179.12
	अन्तर	**0.00**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	76281.00
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1297276.12
3	15 वां वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	3535622.00
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	4909179.12
5	दिनांक 31.03.2025 को बैंक खातों का अंतिम शेष	4909083.12
6	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि	96.00
7	दिनांक 31.03.2025 को बैंक खातों व हस्तगत राशि का कुल अंतिम शेष	4909179.12
8	दिनांक 31.03.2025 को संकलित वित्तीय स्थिति तथा बैंक बचत खातों व हस्तगत राशि मे कुल अंतर	**0.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरसिंघी
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

— 19 — 18

परिशिष्ट 2 **पैरा संख्या** 7·1 **में संदर्भित**

ग्राम पंचायत मोरसिघीं**, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर**

(01.04.2024 से 31.03.2025)

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	42250	900	50	45000	87250	450	**86800**

Rakesh
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरसिघी
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोरसिघी, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर

(विवाह पंजीकरण सूची) (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	राहुल चौहान सपुत्र धर्म सिंह	28-02-2024	06-04-2024	108880	400	400	0
2	दीपक कुमार सपुत्र ईश्वर दास	25-04-2024	07-05-2024	108894	200	200	0
3	अमित कुमार सपुत्र रोशन लाल	12-07-2024	23-07-2024	108558	200	200	0
4	रमन चौहान सपुत्र विशन सिंह	11-07-2024	25-07-2024	108559	200	200	0
5	श्रेष्ठा चौहान सपुत्री मनमोहन सिंह	26-07-2024	05-08-2024	108561	200	200	0
6	गौरव चौहान सपुत्र ओंकार सिंह	07-10-2024	16-10-2024	108576	200	200	0
7	सन्तोष कुमार सपुत्र देश राज	12-10-2024	19-10-2024	108578	200	200	0
8	विकास कुमार सपुत्र ज्ञान चन्द	07-10-2024	21-10-2024	108580	200	200	0
9	अनुज कुमार सपुत्र ठाकुर दास	12-10-2024	28-10-2024	108583	200	200	0
10	अनिल कुमार सपुत्र राकेंश कुमार	21-10-2024	28-10-2024	108584	200	200	0
11	अनिल कुमार सपुत्र कृष्णु राम	04-11-2024	16-11-2024	108590	200	200	0
12	संदीप सपुत्र श्याम लाल	23-11-2024	21-01-2025	108593	400	400	0
13	अचिन वर्मा सपुत्र राजू राम	07-02-2025	24-02-2025	108596	200	200	0
14	लखन पाल सपुत्र मनी राम	04-02-2025	28-02-2025	108597	200	200	0
15	रोहित कुमार सपुत्र चुनी लाल	25-07-2024	17-03-2025	108780	400	400	0
	कुल योग				3600	3600	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरसिघी
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट "4"

(पैरा संख्या 8.1 में वर्णित)

G.P. MORSINGHI Material Detail 2024-25

Name of Work	Voucher No.	Name of Vender	Material	QTY/cum	Rate	Total
C/o Reataning wall and Drain Gram Panchayat Morsingh near Panchayat Ghar	31	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	700	44.27	30989
	32	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Agg.	1000	42.66	42660
C/o Land development alongwith Retaning wall Pawan Kumar S/o Tulshi Ram Ghiyana.	233	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	sand	300	44.27	13281
	234	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	agg.	319	42.66	13608.54
C/o Land development alongwith Retaning wall Roop Lal S/o Chandu Ram Masdhan.	228	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	sand	363	41.8	15173.4
C/o Land development alongwith Retaning wall Dharam Singh S/o Panchi Ram Morsinghi.	168	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.	225	41.8	9405
C/o Land development alongwith Retaning wall Nain Singh S/o Basant Ram vill. Morsinghi.	167	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.	495	41.8	20691
C/o Land development alongwith Retaning wall Rajesh Kumar S/o Nand Singh vill. Bachhrin.	218	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	180	44.27	7968.6
C/o Land development alongwith Retaning wall Dwarka Dass S/o Shiv Ram Kashol.	225	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	sand	410	41.8	17138
	237	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Agg.	230	42.66	9811.8
C/o Land development alongwith Retaning wall Jagdish Ram Alias Jagat Ram S/o Sant Ram vill. Dihar.	165	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.	170	41.8	7106
C/o Cattle shed Sashi Pal S/o Suresh Kumar Kashol.	1	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Agg.	182	42.66	7764.12
	224	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	273	41.8	11411.4
C/o Land development alongwith Retaning wall Sehjad S/o Parsh Ram village Bachhrin.	235	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	295	41.8	12331
C/o Cattle Shed in the land of Niki Devi W/o Munshi Ram village Bachhrin.	227	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	227	41.8	9488.6
C/o Land development alongwith Retaning wall Kamlesh Kumari w/o Rajpal in village Ghiyana.	223	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	425	41.8	17765
	250	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Agg.	160	42.66	6825.6
C/o Retaning wall in the land of Gopal Singh S/o Krishan Singh Bachhrin.	229	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	90	41.8	3762
C/o Land Development alongwith Retaning wall Dhani Ram S/o Tota Ram Bachhrin.	160	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.	153	41.8	6395.4
	217	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	270	44.27	11952.9
C/o Land development alongwith Retaning wall Dharm Singh S/o Shiv Ram in vill.Kashol.	238	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	215	44.27	9518.05
	239	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Agg.	222	42.66	9470.52
C/o Land development alongwith Retaning wall Kashmira Devi w/o Tej Ram in vill. Kashol.	154	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.	300	41.8	12540
	249	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Agg.	122	42.66	5204.52
C/o Land Development alongwith Retaning wall Bhagirath S/o Jeet Ram Kashol.	38	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand	125	41.8	5225

सचिव
ग्राम पंचायत Morsinghi
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

	230	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		163	41.8	6813.4
C/o Land Dev. alongwith Reataning wall Durga Ram S/o Chhaju R Morsinghi.	162	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		260	41.8	10868
	219	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		180	44.27	7968.6
C/o Land development alongwith Retaning wall Jeevan s/o Saula Ram Bachhrin.	156	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		300	41.8	12540
	164	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		170	41.8	7106
C/o Reataining wall Kishori lal s/o Lekh Ram Kashol.	248	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Agg.		290	42.66	12371.4
C/o Land development alongwith Retaning wall Sunil Kumar S/o Roop Lal Dihar	163	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		258	42.8	11042.4
	221	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		270	44.27	11952.9
C/o Reataining wall Satish Kumar S/o Joginder Singh Kashol.	231	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		283	41.8	11829.4
C/o Land development alongwith Retaning wall Jiva Nand S/o Sita Ram Masdhan.	155	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Agg.		204	41.8	8527.2
	226	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		410	41.8	17138
C/O Water Harvesting tank in the land of Bhuvensh Chand S/O Nand lal vill kaushol	187	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		122	42.75	5215.5
C/O Protection Wall Sheela Devi W/O Rajender Pal Vill. Ghyana	150	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		150	41.8	6270
C/O Cattle Shed in the land of Sh. Suresh Kumar S/O Gopala Ram Vill. Ghyana	188	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		322	42.75	13765.5
C/o Cattle shed Kamal Dev S/o Amar Nath Ghiyana	185	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		305	42.75	13038.75
C/o Land development alongwith Retaning wall Basant Ram S/o Tahiya Ram Masdhan	139	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		400	41.8	16720
	122	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		300	41.8	12540
C/o Land development alongwith Retaning wall Brij Lal S/o Kanshi Ram Bacchrin.	126	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		300	41.8	12540
	141	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		450	41.8	18810
C/o Land development alongwith Retaning wall Chaman Lal S/o Shali Gram in vill. Dihar.	133	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		350	41.8	14630
C/o Land development alongwith Retaning wall Piar Singh S/o Punoo Ram vill. Kashol.	144	Rajeneesh VPO Bardin The. Ghumarwin Distt. Bilaspur(H.P.)	Agg.		400	41.8	16720
C/o Reataning wall Daulat Ram S/o Shiv Ram vill. Kashol.	240	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		150	44.27	6640.5
			Agg.		300	42.66	12798
			bolder		150	28.4	4260
C/o Path From Cow shed Hoshiyar Singh towards Sc Basti Nikku Ram House etc	215	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		275	38.95	10711.25
			Agg.		550	34.2	18810
C/o Ambulance road Kanjeen towards SC Baila Basti Kashol	202	GARG TRADERS VPO Morsinghi the. Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)	Sand		260	38.95	10127
			Agg.		510	34.2	17442
Total							646682.25

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोरसिंघी, विकास खंड सदर, जिला बिलासपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Garg Traders VPOMorsinghi Tehsil Ghumarwin Distt.Bilaspur H.P.	Sand, Aggregate, Stone,Stringing etc.	660866.00	13217.32
कुल योग					**13217.32**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरसिंघी
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
Annaxure 6 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित			
ग्राम पंचायतमोरसिघी, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर			
प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे (01.04.2024 से 31.03.2025)			
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि	निर्माण पक्का रास्ता कसोहल से बल्ह वार्ड न.5 ग्राम पंचायत मोरसिघीं	1,00,000
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि	निर्माण पक्का रास्ता नन्द लाल के घर से अवनीश चौहान के घर तक ग्राम पंचायत मोरसिघीं	1,00,000
3	मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना	निर्माण रास्ता मोरसिंघी सोसायटी से अपर घयाना की ओर ग्राम पंचायत मोरसिघीं	1,00,000
4	मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना	निर्माण रास्ता मसधान हैन्ड़पम्प से लोहर मसधान की ओर ग्राम पंचायत मोरसिघीं	1,00,000
5	मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना	निर्माण रास्ता मसधान हैन्ड़पम्प से लोहर मसधान की ओर ग्राम पंचायत मोरसिघीं	1,00,000
6	सैक्टल डिसैन्टरलाईज प्लानिंग SDP	एमुलैन्स रोड़ धार मुख्य रोड़ से लोहर बछड़ी की तरफ ग्राम पंचायत मोरसिघीं	2,50,000
7	सैक्टल डिसैन्टरलाईज प्लानिंग SDP	निर्माण रास्ता कसोहल, बल्ह न.1 बिट्टु राम के घर से सोहन सिंह के घर तक ग्राम पंचायत मोरसिघीं	1,50,000
8	मनरेगा	सुरक्षा दीवार व नाली ग्राम पंचायत मोरसिघीं	2,99,000
9	मनरेगा	सुरक्षा दीवार श्मशानघाट बछड़ी ग्राम पंचायत मोरसिघीं	1,77,654
	Total		13,76,654

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

24

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोरसिघी, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	दिनांक	बिल संख्या	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि	सुरक्षा दीवार दौलत राम के घर के पास गांव कसोहल	31-07-2024	639233	HP State Civil Supplies Corporation Ltd Ghumarwin	सीमेन्ट	10454.00
2	मनरेगा	टैंक निर्माण जुध्या देवी बछड़ी ग्राम पंचायत मोरसिघीं	16-05-2024	66113	HP State Civil Supplies Corporation Ltd Ghumarwin	सीमेन्ट	22651.00
					कुल योग		**33105.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

25

परिशिष्ट 8 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मोरसिघी,विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर

बिना उचित बिलों के किया गया भुगतान

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	16.05.2024	सुरक्षा दीवार व नाली ग्राम पंचायत मोरसिघीं	66116	सीमेन्ट	41816.00
2	मनरेगा	16.05.2024	सुरक्षा दीवार श्मशानघाट बछड़ी ग्राम पंचायत मोरसिघीं	66115	सीमेन्ट	27878.00
3	मनरेगा	16.05.2024	टैंक निर्माण जुध्या देवी बछड़ी ग्राम पंचायत मोरसिघीं	66113	सीमेन्ट	22651.00
4	मनरेगा	16.05.2024	टैंक निर्माण जुध्या देवी बछड़ी ग्राम पंचायत मोरसिघीं	66114	सीमेन्ट	22651.00
कुल योग						**114996.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)